Dr. Seema Kumari
Asst. Prof. (Pol. Sc.) RMC, VKSU.
BA - I, Comparative Politics
Date - 22.01.2022

संविधानवाद

प्रत्येक राज्य के लिए संविधान का होना आवश्यक है। संविधान वह आधार है जिसके द्वारा किसी राज्य में हर व्यक्ति संस्था या समूह की भूमिका का निर्धारण किया जाता है।

सी. बी गेटल के 'संविधान नियमों का वह संग्रह है जो उन उद्देश्यों की प्राप्ति करता है जिनके लिए शासन शक्ति प्रवर्तित की जाती है तथा जो शासन के उन विविध अंगों की सृष्टि करता है, जिसके माध्यम से सरकार अपनी शक्ति का प्रयोग करती है।'

संविधान किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का एक अपरिहार्य तत्व बन चुका है जो रा० व्यवस्था के चरित्र की अभिव्यक्ति करता है।

संवैधानिक सरकार वह होती है जो देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार संगठित सीमित एवं नियंत्रित होती है तथा व्यक्ति व दल विशेष की इच्छाओं से संचालित न होकर मात्र विधि के अनुसार संचालित होती है।

प्रत्येक रा० व्यवस्था के कुछ निश्चित मानक अथवा मूल्य होते हैं जो उसके संविधानवाद के आधार के रूप में कार्य करते हैं:- विलियम जी एंड्रूज ने अपनी किताब 'संविधान एवं संविधानवाद' में दिया है जो इस प्रकार है:-

1. संस्थाओं के ढांचों एवं प्रक्रियाओं में पर एकमतता
2. सरकार के आधार के रूप में विधि के शासन की आवश्यकता पर सहमति

Scanned with CamScanner

3. समाज के समान उद्देश्यों पर सहमति
4. गौण लक्ष्यों तथा विशिष्ट नीति प्रश्नों पर सहमति

संविधानवाद के तत्व पिनॉक एवं स्मिथ ने अपनी पुस्तक 'Political Science: An Introduction' 4 तत्वों तत्वों का वर्णन किया है -

1. संविधान आवश्यक संस्थाओं के अभिव्यक्ति के रूप में,
2. राजनीतिक शक्ति के प्रतिबंधक के रूप में
3. संविधान विकास का निर्देशक - यानि की संविधान निरंतर गतिमान बना रहे। भविष्य में भी रा० व्य० के विकास में सहायक रहे। संविधान में परिस्थितियों के अनुसार ढलने तथा विकसित होने की क्षमता हो।
4. संविधान राजनीतिक संमति संगठन के रूप में।

संविधानवाद की सामान्य विशेषतायें :-

1. मूल्य सम्बद्ध अवधारणा - आपसी सहमति पर आधारित
2. संस्कृति संबद्ध " -
3. गतिशील अवधारणा
4. सहभागी अवधारणा - कई राष्ट्रों के मूल्यों, विश्वासों, राजनीतिक आदर्शों में समानतायें हो सकती हैं
5. साध्य मूलक अवधारणा -
6. संविधान आधारित धारणा - प्रत्येक देश अपने संविधान में अपने समाज की मूलभूत आवश्यकताओं का समावेश करना उपयोगी समझता है क्योंकि इससे संविधान के प्रति जनता में विश्वास एवं लगाव उत्पन्न होता है।

→

Scanned with CamScanner